

M057-UKG/20

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

क्रमांक एफ 27(45) ग्राविवि/गुप-5 PMAY-G / M-1 / बैठक/2017-18

जयपुर, दि 07 जुलाई 2017

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, (ग्रा.वि.प्र)
समस्त, राजस्थान।

विषय :- SECC-2011 के आकड़ों के आधार पर तैयार वरीयता सूची में विसंगतियों के कम में।

महोदय,

वर्ष 2016-17 से इन्दिरा आवास योजना सुदृढीकृत कर प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण प्रारम्भ की गई है, जिसके पात्र परिवारों की वरीयता सूची का निर्धारण SECC-2011 के आकड़ों के आधार पर किया गया है। विभिन्न समीक्षा बैठकों/विडियों कान्फेंसिंग व पत्रों के माध्यम से जिलों द्वारा SECC-2011 के आकड़ों में विसंगतियों के बारे में अवगत कराया गया है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से उक्त समस्याओं के समाधान हेतु आग्रह किया गया है, जिस क्रम में विसंगतिवार ग्राम पंचायत की सूचना एकत्रित की जानी है। अतः निम्न सूचनाएँ एक्सल फार्मेट में तैयार करवाकर 15 अगस्त, 2017 तक भिजवाने का श्रम करावें।

1 ग्राम पंचायतवार लाभार्थियों की सूची (वर्ग परिवर्तन हेतु)

क्र.स	नाम लाभार्थी	SECC-2011 की आईडी	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	दर्ज वर्ग	वास्तविक वर्ग
1						

2 लाभार्थियों की सूची (परिवार के सदस्यों के नाम जोड़ने हेतु)


क्र.स	नाम लाभार्थी	SECC-2011 की आईडी TIN No	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	वर्तमान में प्रदर्शित परिवार के सदस्यों के नाम	जोड़े जाने वाले सदस्यों के नाम
1						

3 लाभार्थियों की सूची (मुखिया के दर्ज पति/पिता का नाम परिवर्तन)

क्र.स	नाम लाभार्थी	SECC-2011 की आईडी TIN No	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	वर्तमान में प्रदर्शित पति/पिता का नाम	जोड़े जाने वाले वास्तविक पति/पिता का नाम
1						

4 लाभार्थियों की सूची (ग्राम पंचायत परिवर्तन हेतु)

क्र.स	नाम लाभार्थी	SECC-2011 की आईडी TIN No	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	वर्तमान में प्रदर्शित पंचायत का नाम	लाभार्थी की वर्तमान/सही ग्राम पंचायत का नाम
1						



5 लाभार्थियों की सूचना (ग्राम सभा द्वारा काटे जाने के उपरान्त अपील समय उपरान्त जोड़ने के कम में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर पात्र पाये जाने पर जोड़ने हेतु)

क्र.स	नाम लाभार्थी	SECC-2011 की आईडी TIN No	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	SECC-2011 के आधार पर तैयार वरीयता सूची में क्रमांक	SECC-2011 के आधार पर तैयार वरीयता सूची में वर्ग	ग्राम सभा दिनांक जिसमें नाम काटा गया	लाभार्थी द्वारा की गई अपील के जांच कर्ता अधिकारी का नाम एवं अपील कमेटी की अभिशषा दिनांक
1								

6 लाभार्थियों की सूचना (ग्राम सभा द्वारा नहीं काटे गये परन्तु त्रुटी से आवास सॉफ्ट पर दर्ज)

क्र.स	नाम लाभार्थी	वर्ग	पंचायत समिति	ग्राम सभा दिनांक जिसमें नाम अनुमोदित है।

7 लाभार्थियों की सूचना (ग्राम सभा द्वारा काटे गये परन्तु त्रुटी से आवास सॉफ्ट पर दर्ज)

क्र.स	नाम लाभार्थी	वर्ग	पंचायत समिति	ग्राम सभा दिनांक जिसमें नाम काटा गया है।

8 लाभार्थियों की सूचना (ग्राम सभा द्वारा काटे गये परन्तु त्रुटी से आवास सॉफ्ट पर दर्ज)

क्र.स	नाम लाभार्थी	वर्ग	पंचायत समिति	ग्राम सभा दिनांक जिसमें नाम काटा गया है।


9 लाभार्थियों की सूचना (जिनके द्वारा प्रपत्र-ब में आवेदन किया गया है एवं अपील कमेटी द्वारा सही माना गया है)

क्र.स	नाम लाभार्थी	वर्ग	पंचायत समिति	ग्राम सभा दिनांक जिसमें नाम काटा गया है।

10 लाभार्थियों की सूचना (जिनके द्वारा प्रपत्र-ब में आवेदन किया गया है)


क्र.स	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	प्राप्त प्रार्थना पत्र	अपीलेट कमेटी द्वारा पात्र पाये गये प्रार्थना पत्र	अपीलेट कमेटी द्वारा निरस्त किये गये प्रार्थना पत्र	अपीलेट कमेटी द्वारा विचाराधीन प्रार्थना पत्र

भवदीय,


(के. के. शर्मा)
अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
4. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (ग्रा.आ) ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
6. जिला प्रभारी मुख्यालय समस्त को भेजकर लेख है कि जिले में भ्रमण के दौरान उक्त की अनुपालना की समीक्षा की जावे।
7. परियोजना निदे. एवं उपसचिव, एसएपी/मो.एवं.मू ग्रामीण विकास विभाग।
8. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।


अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि